भारत गणराज्य सरकार

और

नाईजीरिया संघीय गणराज्य सरकार

के बीच

विमान सेवा करार

प्रस्तावना

भारत गणराज्य सरकार तथा नाईजीरिया गणराज्य सरकार (जिन्हें एतद्पश्चात 'संविदाकारी पक्षकार' कहा गया है);

दिनांक 07 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्षकार होने के नाते;

अपने-अपने राज्यक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय विमानन सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से;

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा से; तथा

दोनों पक्षकार अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने की इच्छा से और विमानों की सुरक्षा के विरूद्ध कृत्यों अथवा खतरों, जिनकी वजह से व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा का जोखिम बढ़ता है, विमान सेवाओं के प्रचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तथा नागर विमानन संरक्षा के संबंध में लोगों का विश्वास कम होता है; के बारे में अपनी गंभीर चिंता की पुन: पुष्टि करते हुए,

निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद-1
परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्द-

1. "वैमानिक प्राधिकारी" का आशय प्रत्येक पक्षकार के लिए, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को समय समय पर लिखित में अधिसूचित किए अनुसार प्राधिकारी या प्राधिकारियों से है;
2. 'करार' का आशय इस करार, इसके अनुबंधों तथा इनमें किए गए किसी भी संशोधन से है;
3. 'विमान सेवा', 'अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, 'एयरलाइन' तथा 'गैर यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना' का आशय उसी अर्थ से है जो इनके लिए अभिसमय के अनुच्छेद 96 में दिया गया है;
4. "क्षमता" का आशय इस करार के अधीन मुहैया कराई जाने वाली सेवा की मात्रा (मात्राओं) से है, जिसे सामान्यत: एक बाजार (नगर युग्म, या देश से देश) में या/और ऑफर किए गए कार्गो के टनों या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, सीजन या वार्षिक रूप से, किसी मार्ग पर उड़ानों (आवृत्तियों) की संख्या के रूप में मापा जाता है;
5. 'अभिसमय' का आशय, 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है तथा इसमें ऐसा कोई संशोधन भी शामिल है जो उसी अभिसमय के अनुच्छेद 94(क) के अधीन किया गया है तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षकारों ने कर दिया है तथा इसमें इस प्रकार ऐसे कोई भी अनुबंध अथवा संशोधन भी शामिल है जो दोनों पक्षकारों के लिए किसी भी निश्चित समय से प्रभावी और अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन किसी भी अनुबंध अथवा संशोधन को अपनाया गया है;
6. 'नामित एयरलाइन' का आशय एक ऐसी एयरलाइन से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामन और प्राधिकार) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो;
7. "पूर्ण लागत" का आशय सेवा प्रदान करने की लागत जमा प्रशासनिक ऊपरी खर्च के लिए युक्तिसंगत प्रभार से है;
8. "टैरिफ" का आशय एयरलाइन (एयरलाइनों), जिनमें उनके एजेंट भी शामिल हैं, द्वारा प्रभारित हवाई सेवा में यात्रियों (और उनके बैगेज) और/या कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए किसी किराए, दर या प्रभार, और ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तों से है;
9. "राज्यक्षेत्र" का तात्पर्य वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है;
10. "प्रयोक्ता प्रभारों" का तात्पर्य एयरलाइन (एयरलाइनों) पर हवाईअड्डा, हवाई दिक्चालन या विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं - जिसमें विमानों, उनके कर्मीदल, यात्रियों, बैगेज और कार्गो से संबंधित सेवाएं और सुविधाएं भी शामिल हैं – के प्रावधान के लिए लगाए गए प्रभार से है।

अनुच्छेद-2
शिकागो अभिसमय की प्रयोज्यता

इस करार के प्रावधान अभिसमय के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे, जब तक कि ये प्रावधान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू होते हों।

अनुच्छेद-3
अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार के अनुबंध के उपयुक्त खंड अथवा भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करेगा। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात क्रमश: 'सहमत सेवाएं'तथा ''विनिर्दिष्ट मार्ग'' कहा गया है।

2. इस करार के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-

   (क) बिना अवतरण किए दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने का अधिकार;
   (ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्षकार के राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार; और
   (ग) विनिर्दिष्ट स्थानों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इस करार के अनुबंध में मार्गों के लिए वर्णित स्थान (स्थानों) पर अन्य पक्षकारों के राज्य क्षेत्र में डाक सहित यात्रियों तथा कार्गो में अंतरराष्ट्रीय यातायात अलग से अथवा संयुक्त रूप से उतारने तथा चढ़ाने का अधिकार भी होगा;

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के अधीन उन नामित एयरलाइनों से अलग, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनें) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने की हकदार होगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में ऐसे यात्रियों और डाक सहित कार्गो को विमान चढ़ाने का विशेषाधिकार है, जो उस अन्य पक्षकार के राज्य में ही किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए अभिप्रेत हैं।

5. यदि एक पक्षकार की नामित एयरलाइन विशेष या असामान्य परिस्थितियों के कारण अपनी सामान्य मार्ग-प्रक्रिया के अनुसार सेवा का प्रचालन करने में असमर्थ है तो दूसरा पक्षकार अस्थायी रूप से उपयुक्त मार्गों की पुन: व्यवस्था कर ऐसी सेवा का प्रचालन जारी रखने की सुविधा करने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा जैसा कि इस संबंध में पक्षकारों द्वारा परस्पर निर्णय लिया गया है।

6. एक पक्षकार की नामित एयरलाइन को दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले एयरवेज, एयरपोर्ट तथा अन्य सुविधाओं का बिना किसी भेदभाव के आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 4
एयरलाइनों का पदनामन तथा प्राधिकार

1. प्रत्येक पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करने के प्रयोजन से एयरलाइन या एयरलाइनों को नामित करने तथा इस प्रकार के नामन को वापस लेने अथवा फेर-बदल करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से नामित करने की जानकारी लिखित रूप से दूसरे पक्षकार को राजनयिक माध्यमों द्वारा दी जाएगी तथा इसकी पहचान की जाएगी कि क्या एयरलाइन अनुबंध में विनिर्दिष्ट की गई विमान सेवाओं के संचालन के लिए प्राधिकृत है।

2. इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फार्म तथा तरीके से किसी भी प्रक्षकार की नामित एयरलाइन (नों) से इस प्रकार का नामन तथा आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रियागत विलंब के साथ उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार प्रदान करेंगे, बशर्ते-

   i) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार अथवा उसके राष्ट्रिकों के पास हो;
   ii) नामित एयरलाइन उस आवेदन पर विचार करने वाले पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्यत: लागू कानूनों तथा विनियमों के तहत विहित शर्तों को पूरा करने की योग्यता प्राप्त हो;
   iii) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्षकार अनुच्छेद-9 (संरक्षा) तथा अनुच्देद-10 (विमानन सुरक्षा) में निर्धारित मानकों को अनुरक्षित तथा प्रशासित कर रहा हो।

अनुच्छेद- 5
प्रचालनिक प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन

1. दोनों में से कोई भी पक्षकार, अन्य पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदत्त प्रचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण अथवा निलम्बन कर सकता है अथवा निम्न में से किसी भी स्थिति में जैसी आवश्यक समझे शर्तें लगा सकता है:-

   (क) उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार, अथवा उस पक्षकार के राष्ट्रिकों में निहित नहीं है।
   (ख) वह एयरलाइन इस करार के अनुच्छेद-8 (राष्ट्रीय विधान की प्रयोज्यता) में वर्णित कानूनों तथा विनियमों का पालन करने में विफल रही है; या
   (ग) दूसरा पक्षकार अनुच्छेद-9 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों को अनुरक्षित और प्रशासित नहीं कर रहा है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैरा (1) के खण्ड (ख) और (ग) का और आगे अतिलंघन रोकने के लिए तात्काल कार्रवाई करना अनिवार्य न हो इस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ विचार विमर्श के बाद ही किया जा सकेगा।

3. यह अनुच्छेद इस करार के अनुच्छेद-10 (विमानन सुरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार की एयरलाइन के प्रचालन प्राधिकार पर रोक, प्रतिसंहरण, सीमा अथवा शर्तें नहीं लगाता।

अनुच्छेद 6
प्रमाणपत्रों की वैधता

जिस पक्षकार के देश में विमान पंजीकृत है, उसके द्वारा जारी किए गए या वैध करार दिए गए उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र और सक्षमता प्रमाणपत्र को अन्य पक्षकार द्वारा वैध के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, परंतु यह कि जिन अपेक्षाओं के अधीन ऐसे प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी किए गए या वैध करार दिए गए, वे उन न्यूनतम मानकों के समान या इनसे ऊपर हों जिन्हें अभिसमय के अनुसरण में समय समय पर स्थापित किया जा सकता है।

अनुच्छेद- 7
सीमा शुल्कों से छूट

1. प्रत्येक पक्षकार, पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को इसके विमान, ईंधन, स्नेहकों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, स्पेयर पार्टज जिनमें इंजन शामिल है, नियमित विमान उपस्कर, तथा विमान भण्डार (जिनमें केवल विमान के प्रचालन अथवा सर्विसेज के संबंध में बिक्री के लिए अथवा उपयोग के लिए प्रवृत्त भोजन, पेय तथा मादक पदार्थ तम्बाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है) तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट ब्लॉक, एयर वेबिल्स, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर एक पक्षकार की नामित एयरलाइन का चिन्ह अंकित हो तथा उस नामित एयरलाइन द्वारा प्रभार के बिना वितरित सामान्य प्रचार पर अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत सीमा शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद के तहत छूटें केवल तभी प्रदान की जायेंगी जब पैरा 1 में संदर्भित मदें:
   (क) दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अथवा उसकी ओर से उस पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लाई गई हों;
   (ख) दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में आगमन अथवा प्रस्थान पर एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान में रखी गई हों;
   (ग) सहमत सेवाओं को प्रचालित करने में उपयोग हेतु एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर उड़ान के भीतर दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लाई गई हो।

3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूटें इस तथ्य का ध्यान किए बिना लागू होंगी कि ऐसी मदों का उपयोग तथा उपभोग पूरी तरह से छूट प्रदान करने वाले पक्षकार के राज्य क्षेत्र के भीतर किया गया है अथवा नहीं, बशर्ते कि ऐसी मदों का स्वामित्व उक्त पक्षकार के राज्य में स्थानांतरित न किया गया हो।

4. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विमान पर नियमित वायुवाहित उपस्कर के साथ-साथ सामान्यत: रखी गई सामग्री, भंडारण और आपूर्तियों को दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में उस पक्षकार के सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी मदों को इतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के अनुमोदन से उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी मदों को इतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जा सकता है जब तक कि सीमा-शुल्कों विनियमों के अनुसार उनका पुन: निर्यात अथवा अन्यथा निपटान न कर दिया जाए।

अनुच्छेद-8
राष्ट्रीय विधान की प्रयोज्यता

1. एक पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, इसके भीतर रहते हुए अथवा वहां से प्रस्थान करते समय, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा, विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित उनके कानूनों, विनियमों तथा कार्यविधियों का अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसके भीतर रहते हुए अथवा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र से विमान में यात्रियों, सामान, कर्मीदल अथवा कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आप्रवास, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध अथवा, डाक के मामले में, डाक विनियम सहित) के प्रवेश अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों तथा कार्यविधियों का अनुपालन दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल अथवा कार्गो अथवा पोतवणिक द्वारा अथवा उनकी ओर से अनुपालन किया जायेगा।

3. दोनों में से कोई भी पक्षकार इस अनुच्छेद में उपबंधित कानूनों तथा विनियमों तथा प्रक्रियाओं को लागू करने में समान अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन पर किसी अन्य एयरलाइन अथवा अपनी स्वयं की एयरलाइन को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।

4. किसी भी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष आवागमन में, यात्रियों, बैगेज तथा कार्गो जो इस प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाईअड्डा क्षेत्र से बाहर न जा रहा हो हिंसा, एयर पायरेसी, नारकोटिक्स कन्ट्रोल के विरुद्ध सुरक्षोपाय को छोड़कर सामान्यकृत नियंत्रण के अध्यधीन नहीं होंगे।

अनुच्छेद 9
विमानन संरक्षा

1. दोनों में से कोई भी पक्षकार, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मी, विमान और नामित विमान कंपनी के प्रचालन से संबंधित अन्य पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन के संबंध में अनुरक्षित संरक्षा मानकों से संबंधित परामर्श करने का अनुरोध कर सकेगा। ऐसे परामर्श इस अनुरोध के 30 दिन के भीतर अथवा दोनों पक्षकारों के बीच जैसी सहमति हो, उतनी लंबी अवधि के भीतर किए जाएंगे।

2. यदि परामर्श के बाद एक पक्षकार को यह पता चलता है कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों, जिन्हें अभिसमय के अनुसार संरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है को अन्य पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइनों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित और प्रशासित नहीं किया जा रहा है तो अन्य पक्षकार इस प्रकार के निष्कर्ष तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप आवश्यक समझे जाने वाले कदमों को अधिसूचित कर सकेगा, तथा अन्य पक्षकार उपयुक्त सुधारक कार्रवाई कर सकेगा।

3. प्रत्येक पक्षकार के पास अन्य पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार के निलंबन अथवा सीमित करने का अधिकार होगा यदि अन्य पक्षकार ऐसे निष्कर्ष की अधिसूचना के 30 दिन के भीतर उपयुक्त सुधारक कार्रवाई न करें।

4. इस बात पर सहमति दी जाती है कि दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र से अथवा के लिए प्रचालक सेवाओं पर एक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित कोई भी विमान, अन्य पक्षकार के राज्य क्षेत्र के भीतर रहते, विमान के दस्तावेजों तथा इसके कर्मीदल के दस्तावेजों की वैधता और विमान तथा इसके उपस्कर की प्रत्यक्ष स्थिति दोनों की जांच के लिए विमान के भीतर तथा इसके आस-पास, अन्य पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जांच (इस अनुच्छेद में जिसे "रैम्प इंस्पेक्शन" कहा गया है) के अध्यधीन होंगे, बशर्ते कि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप अनौचित्यपूर्ण विलंब न हो ।

5. यदि ऐसे रैम्प इंस्पेक्शन अथवा श्रृंखलाबद्ध रैम्प इंस्पेक्शनों से निम्नलिखित को बढ़ावा मिलता है:

- ऐसी गंभीर चिंताएं, कि विमान अथवा विमान के प्रचालन में, उस समय अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों को अनुपालन नहीं किया गया है; अथवा ऐसी गंभीर चिंताएं, कि उस समय अभिसमय के अनुसरण में स्थापित संरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण तथा प्रशासनमें खामी रही है;

- तो रैम्प इंस्पेक्शन करने वाला पक्षकार, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनार्थ, यह निष्कर्ष निकालने के लिए मुक्त होगा कि जिन अपेक्षाओं के तहत उस विमान के संबंध में, अथवा उस विमान के कर्मीदल के संबंध में प्रमाणपत्र अथवा लाइसेंस जारी किए गए अथवा वैध करार दिए गए थे, अथवा जिन अपेक्षाओं के तहत उस

विमान को प्रचालित किया जा रहा है, वे अपेक्षाएं अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समान अथवा ऊपर नहीं हैं।

6. ऐसी स्थिति में जब इस अनुच्छेद के पैरा (4) के अनुसार एक पक्षकार की एयरलाइन द्वारा प्रचालित विमान का रैम्प इंस्पेक्शन किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रवेश को उस एयरलाइन (एयरलाइनों) के प्रतिनिधि द्वारा मना कर दिया जाता है, अन्य पक्षकार यह मानने, कि इस अनुच्छेद के पैरा (5) में संदर्भित गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं और उस पैरा में संदर्भित निष्कर्ष निकालने के लिए मुक्त होगा।

7. यदि प्रथम पक्षकार, चाहे तो एक रैम्प इंस्पेक्शन, श्रृंखलाबद्ध रैम्प इंस्पेक्शन, रैम्प इंस्पेक्शन के लिए प्रवेश को मना कर दिए जाने, परामर्श अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि एयरलाइन प्रचालन की सुरक्षाके लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो प्रत्येक पक्षकार के पास अन्य पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार को निलंबित अथवा परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8. इस अनुच्छेद के पैरा (3) अथवा (7) के अनुसार एक पक्षकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी यदि एक बार ऐसी कार्रवाई करने का आधार समाप्त हो जाए।

अनुच्छेद 10
विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों के अनुरूप दोनों पक्षकार पुन: इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व, इस करार का अभिन्न अंग है । अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों तथा दायित्वों की व्यापकता को कम किए बिना, दोनों पक्षकार विशेष रूप से, 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किए गए अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसंबर,1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरुद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि विरुद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तनों पर हिंसा वाले विधि विरुद्ध कृत्यों के दमन, मांट्रियल में 1 मार्च, 1991 को अभिज्ञान के उद्देश्य से प्लास्टिक विध्वंसकों की निशानदेही के अभिसमय तथा विमानन सुरक्षा से संबंधित अन्य कोई अभिसमय जिसके दोनों पक्षकार सदस्य हैं, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर, दोनों पक्षकार गैर कानूनी रूप से सिविल विमानों के अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों से बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्षकार, अपने परस्पर संबंधों में,अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक वे इन पक्षकारों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके राज्य क्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वह इन विमान सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

4. इस पर प्रत्येक पक्षकार सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे पक्षकारों द्वारा उस पक्षकार के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय तथा वहां से प्रस्थान करते समय या उसमें रहते समय अपेक्षित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है और उसके राज्य क्षेत्र में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान सामग्री विमान में लादने से पहले या उसके दौरान, उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष खतरे का सामना करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए एक दूसरे पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब किसी सिविल विमान के गैर कानूनी अभिग्रहण का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो दोनों पक्षकार, इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब एक पक्षकार के पास यह विश्वास करने के औचित्यपूर्ण आधार हो कि दूसरा पक्षकार इस अनुच्छेद के विमानन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से विमुख हो गया है, तो उस पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ तुरंत परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने पर उस पक्षकार की एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालनिक प्राधिकार वापस लिए जाने, समाप्त किए जाने, सीमित किए जाने अथवा उन पर शर्तें लगाने का आधार बन जाएंगे। किसी आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर कोई भी पक्षकार 15 दिनों के समाप्त होने से पहले अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. इस अनुच्छेद के पैरा (6) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी यदि दूसरे पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

अनुच्छेद 11
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित हवाई सेवाओं और अन्य अनुषंगी उत्पादों तथा सुविधाओं के संवर्धन तथा बिक्री के लिए अन्य पक्षकार के क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के उसके कानूनों विनियमों तथा नियमों के अनुसार क्षेत्र में प्रवेश, रिहाईश तथा रोजगार का अधिकार होगा जिससे अन्य पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में प्रबंधकीय, बिक्री, तकनीकी प्रचालनात्मक और अन्य विशेषज्ञता प्राप्त स्टाफ रखा जा सके जो विमान सेवाओं तथा अन्य अनुषंगी उतपादों एवं सुविधाओं की प्रावधान के लिए आवश्यक हो। स्टाफ की ऐसी अपेक्षा को, एयरलाइन के विकल्प पर, किसी भी राष्ट्रीयता वाले अपने स्वयं के कार्मिकों अथवा अन्य पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में प्रचालित तथा ऐसे अन्य पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में ऐसी सेवाएं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन अथवा कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

3. प्रत्येक पक्षकार की कोई भी एयरलाइन अन्य पक्षकार के अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तथा एयरलाइन के विवेकाधिकार पर, अपने एजेंटों के माध्यम से, हवाई सेवाओं तथा अपने अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं की बिक्री में संलिप्त हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए एयरलाइन को अपने स्वयं के पारवहन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, तथा कोई भी व्यक्ति, उस अधिकार क्षेत्र की मुद्रा में अथवा आसानी से परिर्वतनीय मुद्राओं में, ऐसे परिवहन का क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा है।

अनुच्छेद 12
सहमत सेवाओं के प्रचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइनों के लिए अपने संबंधित राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के लिए निष्पक्ष तथा समान अवसर होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के संबंध में दोनो पक्षकारों के बीच सहमति होगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृति में किसी प्रकार की वृद्धि, दोनों पक्षकारों के बीच करार के अध्यधीन होगी। ऐसे करार अथवा समाधान के लंबित होने की स्थिति में पहले से लागू क्षमता तथा आवृति संबंधी पात्रताएं विद्यमान रहेंगी।

4. पूर्वगामी पैरा के बावजूद, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनें, इस करार के साथ संलग्न मार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थलों पर विचार किए बिना एक दूसरे के राज्यक्षेत्र के बीच, पूर्ण तृतीय, चतुर्थ और पंचम अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार के विमानों के साथ कितनी भी संख्या में ऑल-कार्गो सेवाएं प्रचालित करने की हकदार होंगी। ऐसी ऑल-कार्गो सेवाएं किसी अन्य एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ, जिनमें तीसरे देशों की एयरलाइनें भी शामिल हैं, कोड शेयरिंग, ब्लॉक्ड स्पेस आदि जैसी सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी प्रचालित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद 13
सहकारी विपणन व्यवस्थाएं

1. विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) निम्न के साथ सहकारी विपणन व्यवस्थाएं जैसे कोड शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था संबंधी करार कर सकती हैं:-

(क) उसी संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें); अथवा
(ख) दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें); अथवा
(ग) किसी तीसरे देश की नामित एयरलाइन (एयरलाइनें)

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनें दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ, प्वाइंट्स ऑफ कॉल के बीच के साथ-साथ एक प्वाइंट ऑफ कॉल और पहले संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों के लिए इस प्रयोजन के लिए पारस्परिक रूप से सहमत अतिरिक्त अन्य स्थल (स्थलों) के बीच, केबोटाज अधिकारों का प्रयोग किए बिना, थ्रू अंतरराष्ट्रीय यातायात के वहन के लिए, घरेलू कोड शेयर करार भी कर सकती हैं।

3. सहकारी व्यवस्थाओं में शामिल सभी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) के पास अधीनस्थ (अंडरलाइंग) मार्ग अधिकार होंगे तथा जो ऐसी व्यवस्थाओं विषयक सामान्यत: लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को विमानों की संख्या, आकार और प्रकार की दृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के कोड शेयर प्रचालनों में शामिल विमानों के बीच यातायात अंतरित करने की अनुमति होगी।

5. प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) के अतिरिक्त, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) से अनुमोदन हेतु अनुसूचियां दाखिल करने तथा सहकारी विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत विमान सेवाएं आरंभ करने से पूर्व कोई अन्य दस्तावेज भी मुहैया करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

6. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिक्री संबंधी सेवाओं का प्रस्ताव करते समय, संबंधित एयरलाइन अथवा इसका एजेंट बिक्री के समय खरीदार को यह स्पष्ट करेगा कि कौन सी एयरलाइन प्रत्येक सेवा

सेक्टर पर प्रचालन एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन-सी एयरलाइन (एयरलाइनों) के साथ संविदागत संबंध बनाने जा रहा है।

7. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित विमान सेवाओं के जरिए प्रचालित कुल क्षमता की गणना, प्रचालन एयरलाइन (एयरलाइनों) को नामित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी में से ही की जाएगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा पेश की गई क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार की क्षमता हकदारी में से नहीं की जाएगी।

8. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया करने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत हो कि कौन-सा संविदाकारी पक्षकार सुरक्षा, संरक्षा, सुविधा (फेसिलिटेशन), दायित्व तथा यात्रियों से संबंधित अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे करार को कोड शेयर व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने से पहले, दोनों पक्षकारों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास दाखिल किया जाएगा।

9. कोड शेयरिंग सेवाएं मुहैया कराने से पहले, कोड शेयरिंग भागीदार इस पर सहमति देंगे कि कौन सा भागीदार सुरक्षा, संरक्षा, सुगमीकरण, दायित्व और ग्राहकों से संबंधित अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा करार कोड शेयर करारों के कार्यान्वयन से पूर्व दोनों पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास दायर किया जाएगा।

अनुच्छेद- 14
अनुसूचियों का अनुमोदन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी अन्य संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे सहमत सेवाएं आरंभ करने के कम से कम 30 दिन पहले, उड़ान अनुसूचियों, जिनमें सेवा का प्रकार और इसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमानों का प्रकार तथा प्रत्येक स्थान पर उड़ान के समय से संबंधित सूचना शामिल हो, उन्हें उनके विचार तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करे। इसी प्रकार की सूचना प्रत्येक आयटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यातायात सीजन से कम से कम 30 दिन पहले और जब कभी भी सहमत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन(ने) दूसरे संविदाकाकरी पक्षकार के विमानन प्राधिकारियों को इस करार की अपेक्षाओं का यथोचित रूप से अनुपालन किए जाने के संबंध में संतुष्ट करने के लिए यथोपेक्षित कोई अन्य सूचना भी प्रदान करेगी।

अनुच्छेद- 15
टैरिफ

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा प्रचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफों का निर्धारण प्रचालन की लागत तथा युक्तिसंगत लाभ और अन्य एयरलाइनों की टैरिफ सहित सभी संगत कारकों पर ध्यान देते हुए युक्तिसंगत स्तरों पर किया जाएगा।

2. पैरा (1) के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ को एक संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा अन्य संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. उपर्युक्त के होते हुए भी, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को निम्नलिखित के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

(क) ऐसी टैरिफों को रोकना जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धारोधी प्रतिक्रिया होती हो, जिनके अनुप्रयोग से प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार संरचित होता हो;
(ख) उपभोक्ताओं का उन कीमतों से संरक्षण करना जो किसी प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक हो;
(ग) एयरलाइनों का उन कीमतों से संरक्षण करना जो लूटने वाली या कृत्रिम रूप से निम्न हो।

4. इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित प्रयोजनों के लिए एक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइनों से यह अपेक्षा रख सकते हैं कि वे टेरिफों की स्थापना से संबंधित जानकारी मुहैया कराएं।

5. यदि एक संविदाकारी पक्षकार को यह विश्वास है कि दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामित एयरलाइन द्वारा वसूली जाने वाली प्रस्तावित टैरिफ इस अनुच्छेद के पैरा (3) में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो वह यथासंभव शीघ्र दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों से अवगत कराएगा तथा परामर्श का अनुरोध करेगा और यह परामर्श अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि पक्षकार असंतोष के कारणों से टैरिफ के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचते हैं तो प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार को उस करार को प्रभाव में लाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने होंगे। ऐसे आपसी करार के अभाव में पूर्व में विद्यमान टैरिफ प्रभावी रहेगी।

अनुच्छेद- 16
प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण, गैर-पक्षपातपूर्ण तथा प्रयोक्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच समान मात्रा में होंगे। ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों का आकलन दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के लिए ऐसी शर्तों पर किया जाएगा जो प्रभारों का आकलन किए जाते समय किसी अन्य एयरलाइन के लिए उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हो।

2. दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभारों में, हवाई अड्डे पर अथवा हवाई अड्डे की प्रणाली के भीतर उपयुक्त हवाई अड्डे, पर्यावरणीय, विमान दिक्चालन तथा विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाओं को प्रदान करने वाले सक्षम लगाने वाले प्रभार प्राधिकारियों की पूर्ण लागत परिलक्षित होगी किन्तु ये प्रभार इनकी पूर्ण लागत से अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में, मूल्यह्रास के पश्चात, परिसंपत्तियों पर औचित्यपूर्ण रिटर्न शामिल है। जिन सुविधाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार किए जाते हैं उन्हें कुशल तथा किफायती आधार पर उपलब्ध कराया जाए।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने क्षेत्र के भीतर सक्षम प्रभार प्राधिकारियों तथा सेवाओं एवं सुविधाओं का प्रयोग करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार प्रभार लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों तथा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को ऐसी सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जैसाकि इस अनुच्छेद के पैरा (1) तथा (2) में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप प्रभारों की औचित्यपूर्णता की सटीक तथा पारदर्शी समीक्षा किए जाने के लिए आवश्यक हो। प्रत्येक पक्षकार प्रभार लगाने वाले सक्षम प्राधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ता प्रभार में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव के लिए प्रयोक्ताओं को औचित्यपूर्ण नोटिस दे ताकि प्रयोक्ता इन परिवर्तनों को क्रियान्वित किए जाने से पहले अपने मत व्यक्त कर सके।

4. अनुच्छेद 20 के अनुसरण में विवाद समाधान प्रक्रियाओं के दौरान, किसी भी पक्षकार को, इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान के उल्लंघन का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, यदि;

(i) उसने उस प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा करने का जिम्मा लिया हो जो एक औचित्यपूर्ण समय के भीतर दूसरे पक्षकार द्वारा शिकायत किए जाने के अध्यधीन है; और

(ii) ऐसी समीक्षा करने के पश्चात, उसने इस अनुच्छेद के विपरीत किसी भी प्रभार अथवा परिपाटी के निवारक उपाय के प्रयोजनार्थ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी कदम उठाए हैं।

अनुच्छेद- 17
आंकड़ों का प्रावधान

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्षकार के राज्य क्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के आरोहण और अवतरण के स्थलों का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार के आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित हैं।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के लिए और वहां से वाहित यातायात के वास्तविक प्रारंभिक स्थल और गंतव्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवाएंगे।

अनुच्छेद 18
प्राप्तियों के अधिशेष का हस्तांतरण

1. नीचे दिए गए पैरा 3 के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, मांग होने पर और अन्य पक्षकार की विधियों और विनियमों के अनुसार कर संबंधी दायित्वों का समाधान किए जाने के बाद, ऐसी एयरलाइन द्वारा हवाई पारवहन और अन्य अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री के संबंध में ऐसी एयरलाइनों द्वारा अर्जित स्थानीय रूप से संवितरित स्थानीय राजस्वों के साथ साथ ऐसे राजस्वों पर ब्याज (जिसमें अंतरण के लिए प्रतीक्षित जमा राशियों पर अर्जित ब्याज भी शामिल है) को किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित और अंतरित करने का अधिकार होगा। परिवर्तन और विप्रेषण की अनुमति, चालू संव्यवहारों के लिए प्रयोज्य विनियम दर की तारीख और एयरलाइन द्वारा विप्रेषण के लिए प्रारंभिक आवेदन किए जाने की तारीख के संबंध में बिना किसी प्रतिबंध के लिए दी जाएगी।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, मांग होने पर दूसरे संविदाकारी पक्षकार की एयरलाइन (एयरलाइनों) को, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्यक्षेत्र में हवाई सेवाओं और अपने अनुषंगी उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं के प्रचालन और/या बिक्री के संबंध में प्राप्त व्यय के ऊपर प्राप्तियों के साथ-साथ ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज से अधिक, किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में, परिवर्तित और अंतरित करने का अधिकार प्रदान करेगा।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग प्रयोज्य घरेलू नियमों और विनियमों के साथ घरेलू कर कानूनों और प्रयोज्य दोहरे कराधान परिहरण करार के अनुसार होगा। यदि एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध लगाता है, तो दूसरे पक्षकार द्वारा पहले पक्षकार की नामित एयरलाइनों पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद- 19
परामर्श

1. कोई भी संविदाकारी पक्षकार, किसी भी समय, इस करार की व्याख्या, इसके अनुप्रयोग, कार्यान्वयन या संशोधन पर परामर्श के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है।

2. जब तक दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, ऐसे परामर्श दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर आरंभ होंगे।

अनुच्छेद 20
विवादों का निपटान

1. इस करार के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, जिसे औपचारिक परामर्श द्वारा सुलझाया नहीं जा सका हो, पक्षकारों की सहमति से किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजा जा सकता है। यदि पक्षकार इस प्रकार सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद को, किसी भी पक्षकार के अनुरोध से, निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप माध्यस्थ को प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. माध्यस्थम एक निम्नानुसार गठित तीन मध्यस्थों के एक अधिकरण द्वारा की जाएगी:

   (क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ का नाम बताएगा। इन दो मध्यस्थों का नाम आने के बाद 60 दिन के भीतर, वे सहमति से एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो मध्यस्थता अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

   (ख) यदि कोई भी पक्षकार एक मध्यस्थ का नाम बताने में विफल रहता है, अथवा इस पैरा के खंड (क) के अनुरूप तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं होती है, तो कोई भी पक्षकार 30 दिनों के भीतर आवश्यक मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार की राष्ट्रीयता वाला है, तो वरिष्ठतम उपाध्यक्ष जो इस आधार पर अयोग्य न हो यह नियुक्ति करेगा। अध्यक्ष

अथवा वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा इस पैरा के अंतर्गत तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने की स्थिति में, उस तीसरे मध्यस्थ की राष्ट्रीयता किसी भी पक्षकार की राष्ट्रीयता नहीं होगी।

3. अन्यथा सहमति होने की स्थिति को छोड़कर, मध्यस्थ अधिकरण इस करार के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करेगा और अपने स्वयं के प्रक्रियागत नियम स्थापित करेगा। एक बार बन जाने के बाद, यह अधिकरण अपने अन्तिम निर्णय के लम्बित रहते अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अधिकरण के निर्देश अथवा किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, अधिकरण के पूरी तरह गठित हो जाने के बाद पंद्रह (15) दिनों के भीतर मध्यस्थता के निश्चित मुद्दों तथा अनुसरित की जाने वाली विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक बैठक की जाएगी।

4. अन्यथा सहमति होने को छोड़कर अथवा अधिकरण द्वारा यथा निर्देशित, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के पूरी तरह गठित होने के समय के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिन बाद देय होंगे। अधिकरण किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तरों के देय होने के बाद 15 दिन के भीतर एक सुनवाई करेगा।

5. अधिकरण सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई न हुई हो, तो दोनों पक्षकारों के उत्तर प्रस्तुत किए जाने के बाद एक लिखित निर्णय प्रदान करेगा। अधिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

6. दोनों पक्षकार निर्णय लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं तथा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्षकार, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक मध्यस्थ अधिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अधिनिर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी करेगा।

8. अधिकरण के व्यय, जिनमें मध्यस्थों के शुल्क और खर्चे शामिल हैं, पक्षकारों द्वारा समान रूप से साझे किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के पैरा 2 उपबंध (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय पर अधिकरण के व्ययों के भाग के रूप में विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद - 21
बहुपक्षीय करारों का प्रभाव

इस करार के लागू होने के पश्चात, यदि दोनों संविदाकारी पक्षकार इस करार में शामिल मामलों का समाधान करने वाले बहुपक्षीय करार के संविदाकारी पक्षकार बन जाते हैं तो कोई भी पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परामर्शों के लिए अनुरोध कर सकता है कि क्या बहुपक्षीय करार को ध्यान में रखते हुए इस करार में संशोधन किया जाए।

अनुच्छेद- 22
संशोधन

1. संविदाकारी पक्षकारों के पारस्परिक करार द्वारा, इस करार को लिखित में आशोधित और संशोधित किया जा सकता है।

2. इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन इस करार के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तित होगा। उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसरण में किए गए सभी संशोधन और आशोधन इस करार का अभिन्न अंग बनेंगे।

3. पैरा (2) के बावजूद, संविदाकारी पक्षकार इस करार के अनुबंधों के किसी संशोधन को तुरंत लागू करने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 23
अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकरण

इस करार तथा इसके सभी संशोधन, उस संविदाकारी पक्षकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकृत कराए जाएंगे, जिसके राज्यक्षेत्र में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुच्छेद-24
समापन

कोई भी संविदाकारी पक्षकार, किसी भी समय, इस करार को समाप्त करने के अपने निर्णय की सूचना अन्य पक्षकार को, लिखित में दे सकता है। ऐसी सूचना साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजी जाएगी। यह करार उस अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना को प्राप्त करने की तिथि के बाद प्रथम वर्ष पूरा होने से तत्काल पहले सूचना प्राप्त होने के स्थान पर मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस सूचना को इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षकारों की सहमति से वापस न ले लिया जाए। अन्य संविदाकारी पक्षकार द्वारा पावती दिए जाने के अभाव में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख के पश्चात चौदहवें दिन को नोटिस प्राप्त किया माना जाएगा।

अनुच्छेद 25
प्रभावी होना

यह करार अंतिम लिखित अधिसूचना, जिसके द्वारा संविदाकारी पक्षकारों में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे को अधिसूचित कर दिया है कि उन्होंने इसे प्रवृत्त करने के लिए अपनी आंतरिक विधिक कार्यविधियां पूर्ण कर ली हैं, की तारीख से प्रवृत्त होगा।

इस करार के लागू होने की तारीख से, भारत गणराज्य सरकार और नाइजीरिया संघीय गणराज्य सरकार के बीच दिनांक 31 जनवरी, 1978 को हस्ताक्षरित हवाई सेवा करार समाप्त हो जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होने के कारण, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक_____ दिन _____(माह तथा वर्ष) को मुम्बई में अंग्रेजी और हिंदी दोनो भाषाओ में दो प्रतियों में कार्यान्वित किया गया, जो प्रामाणिक पाठ होंगे। व्याख्या में कोई असहमति होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

सुरेश प्रभाकर प्रभु

कृते भारत गणराज्य सरकार

हादी अबुबकर सिरिका

कृते नाईजीरिया संघीय गणराज्य सरकार

अनुबंध

मार्ग अनुसूची

खंड-1

भारत गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए मार्ग:

प्रारम्भ स्थल	मध्यवर्ती स्थल	नाईजीरिया में स्थल	परवर्ती स्थल
भारत में स्थल	नैरोबी, दुबई, काहिरा, एडिस अबाबा	लागोस	अकरा, लंदन

भारत गणराज्य सरकार की नामित एयरलाइन:-

1. एडिस अबाबा और लागोस के बीच और लागोस तथा ऊपर विनिर्दिष्ट परवर्ती स्थलों के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकतीं।
2. दिल्ली और लागोस, तथा काहिरा और लागोस के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग कर सकतीं हैं।
3. नैरोबी और लागोस के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं।

खंड II

नाईजीरिया संघीय गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए मार्ग:

प्रारंभिक स्थल	मध्यवर्ती स्थल	भारत में स्थल	परवर्ती स्थल
नाईजीरिया में स्थल	नैरोबी, एडिस अबाबा, जेद्दाह, दुबई	मुंबई	सिंगापुर, हॉगकांग

नाईजीरिया संघीय गणराज्य की नामित एयरलाइने:

1. दुबई और मुंबई, और मुंबई और ऊपर विनिर्दिष्ट परवर्ती स्थलों के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकतीं।
2. जेद्दाह और मुंबई, तथा एडिस अबाबा और मुंबई के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं।
3. नेरोबी और मुंबई के बीच पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं।

खंड III

1. खंड I और खंड II में विनिर्दिष्ट स्थलों पर अनिवार्यत: नामित क्रम में सेवा प्रदान करना आवश्यक नहीं है।
2. विनिर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती और परवर्ती स्थलों को, नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के विकल्प पर, किसी या सभी उड़ानों से हटाया जा सकता है।
3. खंड I और खंड II में विनिर्दिष्ट न किए गए मध्यवर्ती या परवर्ती स्थलों पर सेवा प्रदान की जा सकती है, बशर्ते ऐसे स्थलों और अन्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र में किसी भी स्थल के बीच किसी भी पंचम स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग न किया जाए।